COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PBR/पुनर्विलोकन/इन्दौर/भू-रा/2017/2821

(36)

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–इन्दौर

श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा आज दि. 22-8-17 प्रस्तुत

22-8-17

दिवाकर दीक्षित 22/8/17

1– गफुर खॉ पुत्र श्री रहमान खॉ
2– अब्दुल रहीम खॉ पुत्र श्री रहमान खॉ
3– फिरोज खॉ पुत्र श्री रहमान खॉ
निवासीगण–ग्राम चिखली तहसील सिमरौल महू जिला – इन्दौर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– बसारत खॉ मृत
2– शराफत खॉ मृत
3– मु0 खेरूनिशा बी मृत
4– मु0 मेराजी बी मृत
5– मु0 साईदा बी मृत
6– मु0 अजीज बी पुत्र श्री करामत खॉ
7– मु0 सुगरा बी मृत
8– मु0 कुबरा बी पुत्र श्री करामत खॉ
समस्त निवासी–ग्राम चिखली तहसील सिमरौल महू जिला – इन्दौर (म.प्र.)
9– नायब तहसीलदार श्री यारसीलाल वर्मा
जिला – इन्दौर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 66–चार/89 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/रिव्यु/इंदौर/भू.रा./2017/2821 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–09–17	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 66–चार/1989 में पारित आदेश दिनांक 22–07–2011 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। मूल निगरानी में आदेश आवेदक पक्ष के अभिभाषक की उपस्थिति में किया गया । अब 6 वर्ष से भी अधिक अवधि बाद प्रस्तुत यह रिव्यु स्पष्टतः अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	